न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी सांचोर

पीठासीन अधिकारी – श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन सं. 07/2020 अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि. 1955

अनवानः–

वादी–

1. सजाराम पुत्र श्री अमराराम कलबी निवासी–वांक तहसील–सांचौर

प्रतिवादी–

1.सरकार जरिये तहसीलदार सांचोर

उपस्थित

वकील वादीः–1. इब्राहिम शाह जुनैजा

प्रतिवादी–2.तहसीलदार सांचौर

निर्णय

दिनांक–15.02.2021

वादी द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर वाद अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया कि सरहद मौजा वांक पटवार हल्का सरवाना तहसील साचोंर में वादी का खेत खसरा संख्या 112,114,295, 297, 315 रकबा क्रमशः 2.91हैक्टेयर, 0. 68 हेक्ट., 1.90 हेक्ट, 2.31 हेक्टयर, 0.90 हेक्ट कुल रकबा 8.70 हैक्टेयर उक्त आराजी ने प्रथम बंदोबस्त में वादी का नाम भूलवश सजा की जगह हाजा लिख दिया। जबकि वादी के तमाम सरकारी दस्तावेज में नाम सजाराम पुत्र अमराराम है। वादी का सजाराम की जगह हाजाराम लिख दिये जाने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण इस आराजी में राजस्व कोर्ट में लिपिकीय भूल से सजाराम के स्थान पर हाजा दर्ज कर दिया गया। जिसे सुधार कर सजाराम के नाम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाना न्यायसंगत है। मूझ वादी का नाम सजा के स्थान पर हाजा दर्ज करने की जानकारी मुझे पूर्व में नहीं रही अभी राजस्व रेकर्ड की नकल लेने पर मुझे जानकारी में आया कि मेरा नाम सजा की जगह हाजा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जिस पर दावा माननीय न्यायालय में पेश है। माननीय न्यायालय में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकोर्ड में मेरा नाम हाजा की जगह सजाराम किया जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी ने उपस्थित होकर अपना जवाब इस कदर पेश किया कि ग्राम वांक तहसील [illegible] में वादी सजाराम अपनी खातेदारी कब्जा काश्त नवीन खसरा नंबर 112, 114, 295, 297, [illegible] रकबा क्रमशः 2.91हैक्टेयर, 0.68 हेक्ट., 1.90 हेक्ट, 2.31 हेक्टयर, 0.90 हेक्ट कुल रकबा [illegible] हैक्टेयर जमाबंदी संवत 2071–74 में हाजा पुत्र अमरा कलबी की जगह सजाराम पुत्र अमराराम दर्ज करवाना चाहता [illegible] हाजा पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.02.19 17:54:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned by CamScanner

अमरा प्रथम भू–प्रबंधन से चला आ रहा है। वादी को ग्राम वांक में सजाराम पुत्र अमरा नाम से जाना जाता है एवं वादी के दस्तावेज मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं जॉब कार्ड में भी सजाराम पुत्र अमराराम दर्ज है जिसके आधार पर वादी का राजस्व रेकर्ड में जमाबंदी में भी सजाराम पुत्र अमराराम की जाने की घोषणा किया जाना उचित है।

वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र द्वारा सजाराम, लीलाराम एवं गजाराम पेश किया। प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार वादी का सही एवं वास्तविक नाम सजाराम पुत्र अमराराम है मगर राजस्व रेकर्ड में लिपिकीय भूल से हाजा दर्ज कर दिया गया है जबकि वादी का सही नाम सजाराम है जो उनके नाम से जारी राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र इत्यादि सभी दस्तावेजों में सजाराम पुत्र अमराराम दर्ज है। तथा वादी को ग्राम वांक में भी शुरू से सजाराम पुत्र अमराराम के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाता है। राजस्व रेकर्ड में लिपिकीय भूल से सजाराम के स्थान पर हाजाराम लिख दिया है जो उसे सही नाम सजाराम किया जाना न्यायसंगत है।

अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा मौजा वांक पटवार हलका सरवाना के खसरा संख्या 112,114,295, 297, 315 रकबा क्रमशः 2.91हैक्टेयर, 0.68 हेक्ट., 1.90 हेक्ट, 2.31 हेक्ट., 0.90 हेक्टर कुल रकबा 8.70 हैक्टेयर में वादी का नाम हाजा की जगह सजाराम पुत्र अमराराम किया जाना न्यायसंगत है। तहसीलदार सांचौर ने भी अपने जवाब में वादी का नाम हाजा की जगह सजाराम पुत्र अमराराम किये जाना उचित बताया है। वादी का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा वांक पटवार हल्का सरवाना के खाता संख्या 207 के खसरा नंबर 112,114,295, 297, 315 रकबा क्रमशः 2.91 हैक्टेयर, 0.68 हेक्टर, 1.90 हेक्ट, 2.31 हेक्ट., 0.90 हेक्ट. कुल रकबा 8.70 हेक्टेयर में हाजा की जगह सजाराम पुत्र अमराराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावें।

सहायक कलेक्टर–सांचोर जिला जालोर

15/2/21

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचोर

निर्णय आज दिनांक 15.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.02.19 17:54:25 IST
Reason: SelfAttested

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचोर

Scanned by CamScanner